रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 1983/ज्येष्ठ 12, 1905
No. 244] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 1983/JYAISTHA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1983

का. आ. 390(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश

राष्ट्रपति ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 21 जून, 1982 की अधिसूचना संख्या का. आ. 434 (ई) के साथ प्रकाशित आदेश

द्वारा गठित वित्त आयोग के सदस्य के रूप में श्री न्यायमूर्ति सव्यसाची मुखर्जी का त्याग पत्र 28 अप्रैल, 1983 से प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है ।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबन्धों के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति टी. पी. एस. चावला को श्री न्यायमूर्ति सव्यसाची मुखर्जी के स्थान पर वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया है ।

3. श्री न्यायमूर्ति टी. पी. एस. चावला पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31 अक्तूबर, 1983 तक अपना पद धारण करेंगे ।

4. श्री न्यायमूर्ति टी. पी. एस. चावला वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।

ज़ैल सिंह
राष्ट्रपति

दिनांक : 2 जून, 1983

[संख्या 1(8)-एफ. सी. सी./82]
एस. रंगाचारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1983

S.O. 390(E).—The following Order made by the President is published for general information.

ORDER

The President is pleased to accept, with effect from the 28th April, 1983, the resignation of Shri Justice Sabyasachi Mukherji as Member of the Finance Commission constituted by the Order published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 434(E), dated the 21st June, 1982.

2. In pursuance of the provisions of article 280 of the Constitution of India and of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to appoint Shri Justice T. P. S. Chawla, a Judge of the Delhi High Court, as a Member of the Finance Commission, in place of Shri Justice Sabyasachi Mukherji.

3. Shri Justice T. P. S. Chawla shall hold office from the date on which he assumes office up to the 31st day of October, 1983.

4. Shri Justice T. P. S. Chawla shall render part-time service as Member of the Finance Commission.

Dated : 2nd June, 1983.

ZAIL SINGH
President.

[No. 1(8)-FCC/82]
A. RANGACHARI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983